न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरीक्षण निगरानी-3682-PBR/14

(112)

दिनांक 5-11-14 को श्री ... के ... द्वारा प्रस्तुत।

5-11-14
SO

1. जनकराज सोनी ग्रेन्ड चिल्ड्रन ट्रस्ट
मनोरमा गंज इन्दौर द्वारा ट्रस्टी राकेश सोनी
2. भावा स्टील फेब्रिको एण्ड एग्रीको प्रा.लि.
हरगोविंद भवन रेसीडेन्सी रोड़ मुरार ग्वालियर
द्वारा डायरेक्टर राकेश सोनी
3. एक्सलूसिफ पैकेजिंग्स प्रा.लि.
हरगोविंद भवन रेसीडेन्सी रोड़ मुरार ग्वालियर
द्वारा डायरेक्टर राकेश सोनी
4. अनु सोनी पत्नी विजय सोनी
निवासी–मनोरमा गंज इन्दौर द्वारा मुख्त्यार
राकेश सोनी ------------आवेदकगण

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन ------------अनावेदक

5/11/014

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–8 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण की ओर से आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है–

05-11-2014

संक्षिप्त तथ्य–

1. यह कि, ग्राम ओहदपुर तहसील व जिला–ग्वालियर की भूमि सर्वे क्रमांक–104, 105, 106, 107 एवं 108 के अभिलिखित भूमि स्वामी शंभूदयाल पुत्र भोगीराम आदि थे.

2. यह कि, अभिलिखित भूमि स्वामी शंभूदयाल आदि ने आवेदकगण के हित में 4 पृथक–पृथक विक्रय पत्र दिनांक 13–10–1994 को निष्पादित कर उनका पंजीयन कराया था प्रत्येक विक्रय पत्र द्वारा 0.210 हैक्टेयर भूमि अर्थात कुल 0.840 हैक्टेयर भूमि अंतरित कर उसका आधिपत्य सौंप दिया था.

3. यह कि, आवेदकगण ने एक समूह के रूप में 0.840 हैक्टेयर भूमि क्रय की थी अतः चारों विक्रय पत्रों द्वारा अंतरित भूखण्ड की सीमायें एक–दूसरे से लगी हुयी थी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 3682-पीबीआर/14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-9-2018	आवेदकगण की ओर से श्री एस.के. बापपेयी एवं श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषकगण उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री कमल जैन, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अनुरोध किया गया कि वह सक्षम अधिकारी के समक्ष 4-5 बार उनकी भूमि का सीमांकन कराने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन उनकी भूमि का सीमांकन नहीं किया जा रहा है । अतः प्रकरण में कलेक्टर, जिला ग्वालियर को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदकगण द्वारा उनके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि का सीमांकन हेतु विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को आगामी दो माह में सीमांकन की कार्यवाही सम्पन्न करने के लिए निर्देशित करें । उपरोक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	